भारत सरकार

योजना मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2191

दिनांक 12.03.2020 को उत्तर देने के लिए

वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का बुरा प्रदर्शन

2191. श्री संजय सिंह:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2019 में भारत वैश्विक भूख सूचकांक में 117 में से 102वें स्थान पर रहा जिससे यह सूचित होता है कि देश में छः से तेइस माह की आयु के बीच के लगभग 90 प्रतिशत बच्चों को आवश्यक न्यूनतम भोजन भी प्राप्त नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस पुरानी स्थिति का सामना करने के लिए 'वितरण अंतरों' को किस प्रकार भरने की योजना बना रही है; और

(ग) भूख जोकि चिंता का विषय है, से निपटने हेतु सरकार का अगला तात्कालिक कदम क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय

तथा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) जी, हाँ। वैश्विक भूख सूचकांक, 2019 के अनुसार 6 से 23 महीने की आयु के बीच के केवल 9.6 प्रतिशत बच्चों को ही न्यूनतम स्वीकार्य आहार खिलाया जाता है। 'न्यूनतम स्वीकार्य आहार' एक मानक है जिसमें स्तनपोषित और गैर- स्तनपोषित बच्चों के लिए विविध अनुशंसाओं के साथ न्यूनतम आहार विविधता और न्यूनतम भोजन आवृत्ति को जोड़ा गया है।

यह सूचित किया जाता है कि, वैश्विक भूख सूचकांक, 2019 की गणना चार संकेतकों के आधार पर की गई है, जैसे कि: अल्पपोषित जनसंख्या का प्रतिशत (1/3 भारांक), पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रतिशत जो यक्ष्मा से पीड़ित है, पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रतिशत जो अवरुद्ध विकास से पीड़ित है (1/3 भारांक) और बाल मृत्यु दर (1/3 भारांक)।

हमारे अनुमानों के अनुसार, जिस प्रकार सूचकांक को तय किया जाता है उसमें 70 % से अधिक भारांक बच्चों के अल्पपोषण को दिया जाता है, जो अपने आप में कई सामाजिक निर्धारकों और वंचनाओं और इसके प्रभाव के कारण है; इसलिए यह सूचकांक भूख का स्तर/ सामान्य जनसंख्या में भोजन प्राप्ति की कमी पर विचार नहीं करता है।

(ख एवं ग) भारत सरकार भूख एवं कुपोषण के मामलों को उच्च प्राथमिकता देती है और देश में खाद्य सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए कई योजनाओं/ कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती हैं । सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अत्यधिक सब्सिडीकृत कीमतों पर खाद्यान्न आवंटित करती है और वर्तमान में 800 मिलियन व्यक्तियों (ग्रामीण क्षेत्रों में 75% जनसंख्या और शहरी क्षेत्रों में 50% जनसंख्या) को कवर किया जा रहा है। अधिनियम के अंतर्गत कवरेज काफी अधिक है ताकि समाज के सभी कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ अवश्य प्राप्त हो सके।

केंद्र सरकार अन्य कई कल्याणकारी योजनाएं जैसे एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) जो बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण प्रदान करती है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्नपूर्णा स्कीम, आपातकालीन भोजन कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, एनीमिया मुक्त भारत, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, गहन घरेलू नवजात शिशु देखभाल केन्द्र आदि भी कार्यान्वित कर रही हैं।

*****